संख्या–वे0आ0–2–387/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में परिवहन विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा परिवहन विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों में संविलीन कर दिया जाय। सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–213 की उप धारा–4 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–एस0ओ0– 443(ई0), दिनांक 12 जून, 1989 के अनुसार अर्हता निर्धारित करते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।

(2) यात्री/मालकर अधिकारी तथा यात्री/मालकर अधीक्षक के 93 रिक्त पदों को समाप्त कर दिया जाय। यात्री/मालकर अधीक्षक के भरे हुए 133 पदों को यात्री/मालकर अधिकारी के 37 भरे हुए पदों के साथ संविलीन कर दिया जाय। साथ ही यात्री/मालकर अधिकारी के पद पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता को बनाये रखते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाय। उक्तानुसार संविलियन के फलस्वरूप यात्री/ मालकर अधिकारी के कुल 170 पद उपलब्ध हो जायेंगे। अतः वर्तमान परिदृश्य में कराधान से सम्बन्धित विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त पदों को 120 की संख्या तक सीमित रखते हुए 50 पद वर्तमान में कार्यरत पदधारकों के सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति आदि किसी भी कारणवश रिक्त होने पर समाप्त कर दिये जाय।

(3) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) 63 पद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के रूप में रखते हुए रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) का उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान अनुमन्य कराया जाय। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के शेष 128 पदों को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के रूप में वेतनमान रू0 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) में बनाये रखा जाय।

(4) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के पदों पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के 50 प्रतिशत पदों पर वर्तमान में निर्धारित अर्हता के साथ सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) के 49 प्रतिशत पदों पर यात्री/मालकर अधिकारी एवं संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पदों से तथा 01 प्रतिशत पद सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(5) पूर्व उप प्रस्तरों के अनुसार व्यवस्था होने के फलस्वरूप संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 10000–15200 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 12000–16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– अनुमन्य कराया जाय। साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के पद से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(6) उप परिवहन आयुक्त (वेतनमान रू0 12000–16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) तथा अपर परिवहन आयुक्त (वेतनमान रू0 14300–18300 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–) के पदों पर क्रमशः संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 14300–18300 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड

वेतन रू0 8700/– तथा रू0 16400–20000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900/– अनुमन्य कराया जाय। परिवहन विभाग के महत्व एवं विभाग के बढ़े हुए कार्य के फलस्वरूप विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए अपर आयुक्त के 02 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जायें।

(7) सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण (वेतनमान रू0 12000–16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) के पद पर भी संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 14300–18300 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/– अनुमन्य किया जाय।

(8) परिवहन विभाग के अधिकारी सेवा सवंर्ग में रू0 18400–22400 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4, रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 10000/–) के स्तर के 02 पद उपलब्ध कराये जायें। उक्त 02 पदों में से 01 पद विशेष सविच उत्तर प्रदेश शासन तथा दूसरा पद उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलेट अथारिटी के पदनाम के साथ रखा जाय। अपीलेट अथारिटी के पदधारक द्वारा अपने कार्यों का सम्पादन स्वतंत्र रूप से किया जायेगा परन्तु सम्बन्धित पद परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

(9) पूर्व उप प्रस्तरों में संस्तुत व्यवस्था के आधार पर परिवहन विभाग में संवर्गीय ढ़ॉचा निम्नानुसार निर्धारित किया जाय :—

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रूपयें में
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विशेष सचिव/अपीलेट अथारिटी	02*	18400–22400 (37400–67000 एवं 10000/–)
2	अपर परिवहन आयुक्त	04**	16400–20000 (37400–67000 एवं 8900/–)
3	उप परिवहन आयुक्त	13	14300–18300 (37400–67000 एवं 8700/–)
4	संभागीय परिवहन अधिकारी	34	12000–16500 (15600–39100 एवं 7600/–)
5	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	191 (कुल पद)	

	क– वरिष्ठ वेतनमान	63	10000–15200 (15600–39100 एवं 6600/–)
	ख–साधारण वेतनमान	128	8000–13500 (15600–39100 एवं 5400/–)
6	यात्री/मालकर अधिकारी	170#	6500–10500 (9300–34800 एवं 4600/–)
7	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	124	6500–10500 (9300–34800 एवं 4600/–)

* नये सृजित होने वाले पद/स्तर

** अपर परिवहन आयुक्त के वर्तमान में उपलब्ध 02 पद के अतिरिक्त 02 पद सृजित किये जाने पर कुल 04 पद।

\# पदों की संख्या 120 तक सीमित रखी जायेगी।

(10) वाहनों के तकनीकी परीक्षण के कार्य की महत्ता के दृष्टिगत विभाग में अधिकारी स्तर पर भी अलग प्राविधिक संवर्ग के गठन पर राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक पक्ष का परीक्षण करते हुए निर्णय लिया जाय।

(11) प्रवर्तन सिपाही के पद पर सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल निर्धारित करते हुए वेतनमान रू0 3050–4590 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– अनुमन्य कराया जाय। कार्यात्मक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त विशिष्ट अर्हता विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(12) प्रवर्तन पर्यवेक्षक के पद पर प्रवर्तन सिपाही से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखते हुए प्रवर्तन प्रर्यवेक्षक के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 4000–6000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/– निर्धारित किया जाय।

(13) प्रवर्तन चालक (वेतनमान रू0 3050–4590 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/–) के पद पर अन्य विभागों के वाहन चालकों के समान अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया निर्धारित की जाय। साथ ही प्रवर्तन चालक का संवर्गीय ढाँचा अन्य विभागों के वाहन चालकों के लिये निर्धारित ढाँचों के अनुरूप रखा जाय।

(14) स्टोर अधीक्षक वेतनमान रू0 4500–7000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तथा स्टोर कीपर एवं नाजिर वेतनमान रू0 4000–6000 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/– के एकल पद किसी भी

स्थिति में रिक्त होने पर इन पदों को लिपिकीय संवर्ग के समस्तरीय पदों में संविलीन माने जाने की व्यवस्था की जाय।

(15) समिति द्वारा पूर्व उप प्रस्तरों में की गयी संस्तुति के अनुसार संबंधित पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(16) परिवहन विभाग में उपलब्ध सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों पर समिति द्वारा पूर्व में दी गयी संस्तुतियॉ लागू होगी।

(17) परिवहन विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—387(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।